न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 11/2023

1 सुप्यार देवी उर्फ रामप्यारी पत्नी हरलाल
2 बाबूलाल पुत्र हरलाल
3 रोहिताश पुत्र हरलाल
4 मुकेश पुत्र हरलाल
5 छोटी देवी पुत्री हरलाल
6 गुटी देवी उर्फ कविता पुत्री हरलाल
7 कमला पुत्री हरलाल
8 मनफूली पुत्री हरलाल
9 बनवारी पुत्र मुंगाराम
समस्त जाति मेघवाल निवासीगण नंगली दीपसिंह तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 कृष्ण कुमार पुत्र
2 भागोती पुत्री
3 सकून्तला पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी सागा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल आबाद नंगली दीपसिंह तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश वगे. बनाम हरलाल वगै. संशोधित उनवानी भागोती वगै. बनाम सुप्यार वगै. मु.नं. 81/2007 डिक्री निर्णय दिनांक 21.11.2022

उपस्थिति :

1. श्री हेमराज किलाणियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 81/2007 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 78, 79, 278/1, 290, 291, 292, 293, 323 वाके ग्राम सागा तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर प्रतिवादी का कांउटर क्लेम खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों की रोशनी में राजीनामें का परीक्षण कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर